

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 110वीं बैठक दिनांक 22.12.2006 में लिये गये निर्णय/कार्यवाही का विवरण ।

क्र.स.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पृष्ठ सं.								
1.	110.1	कार्यकारी समिति की 109 वीं बैठक दिनांक 18.11.2006 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट ।	ई.सी. की पूर्व 109वीं बैठक दिनांक 18.11.2006 के एजेण्डा आईटम नं. 109.17 में लिये गये निर्णय में जविप्रा स्वामित्व की भूमि का कुल रकबा 28.44 हैक्टैयर का भू-उपयोग मास्टर विकास प्लान 2011 में दर्शित ग्रामीण से आवासीय उपान्तरण/रूपान्तरण के स्थान पर ग्रामीण से आवासीय एवं व्यावसायिक किये जाने के संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रपिठ किया जावे। अन्य मुद्दों को सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।		1-3								
2.	110.2	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित मोती भवन गृ. नि.स. समिति की योजना हनुमान नगर के भूखण्ड सं. सी-212 क्षेत्रफल 444.44 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण व्यावसायिक किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)	4								
3.	110.3	श्रीमती विजय कीर्ति पत्नी श्री ललित सिंह को मालवीय नगर योजना में आवासीय भूखण्ड सं. डी-827 क्षेत्रफल 211.34 वर्गमीटर निलामी राशि देरी से जमा कराने के नियमन के सम्बन्ध में ।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति.निदे. (राज. एवं सम्पत्ति निस्तारण)	5								
4.	110.4	ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के किश्तों पर आवंटित अल्प आयवर्ग के आवासों की राशि देरी से जमा कराने के सम्बन्ध में ।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जेडीए में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवास गृह की राशि निम्न प्रकार ब्याज पेनल्टी के साथ वसूल की जावें:- <table border="1" data-bbox="858 1024 1441 1401"> <tr> <td>लगातार मासिक 12 किश्ते जमा नहीं कराने पर।</td> <td>15% वार्षिक ब्याज व पेनल्टी शून्य।</td> </tr> <tr> <td>लगातार मासिक 24 किश्ते जमा नहीं कराने पर।</td> <td>15% वार्षिक ब्याज व आवास गृह की कुल लागत की 2% पेनल्टी।</td> </tr> <tr> <td>लगातार मासिक 36 किश्ते जमा नहीं कराने पर।</td> <td>15% वार्षिक ब्याज व आवास गृह की कुल लागत की 3% पेनल्टी।</td> </tr> <tr> <td>लगातार मासिक 36 किश्तों से अधिक जमा नहीं कराने पर।</td> <td>15% वार्षिक ब्याज व आवास गृह की कुल लागत की 5% पेनल्टी।</td> </tr> </table>	लगातार मासिक 12 किश्ते जमा नहीं कराने पर।	15% वार्षिक ब्याज व पेनल्टी शून्य।	लगातार मासिक 24 किश्ते जमा नहीं कराने पर।	15% वार्षिक ब्याज व आवास गृह की कुल लागत की 2% पेनल्टी।	लगातार मासिक 36 किश्ते जमा नहीं कराने पर।	15% वार्षिक ब्याज व आवास गृह की कुल लागत की 3% पेनल्टी।	लगातार मासिक 36 किश्तों से अधिक जमा नहीं कराने पर।	15% वार्षिक ब्याज व आवास गृह की कुल लागत की 5% पेनल्टी।	उपायुक्त जोन-12	6
लगातार मासिक 12 किश्ते जमा नहीं कराने पर।	15% वार्षिक ब्याज व पेनल्टी शून्य।												
लगातार मासिक 24 किश्ते जमा नहीं कराने पर।	15% वार्षिक ब्याज व आवास गृह की कुल लागत की 2% पेनल्टी।												
लगातार मासिक 36 किश्ते जमा नहीं कराने पर।	15% वार्षिक ब्याज व आवास गृह की कुल लागत की 3% पेनल्टी।												
लगातार मासिक 36 किश्तों से अधिक जमा नहीं कराने पर।	15% वार्षिक ब्याज व आवास गृह की कुल लागत की 5% पेनल्टी।												
यह कार्यवाही दिनांक 31.3.2007 तक पूर्ण कर ली जावे, जिसका समाचार पत्रों में प्रसार प्रसार वित्त शाखा द्वारा													

सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पृष्ठ सं.
			किया जावे। इस प्रकार के प्रत्येक मामले में निर्णय लेने हेतु जोन उपायुक्त सक्षम होंगे। इसके बाद आयुक्त जविप्रा सक्षम होंगे।		
5.	110.5	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम टीकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 640,466,679 से 686,645,467 से 469,469/1107, 624,627, से 641, 643, 644,642, 632/1108, 630/1109 रकबा 82946.40 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	7
6.	110.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चिरोटा तह. सांगानेर के खसरा नम्बर 292/1 रकबा 0.14 है०, खं.नं. 293/1 रकबा 2.39 है०, खं.नं. 294 रकबा 0.01 है०, खं.नं. 296 रकबा 0.11 है०, खं.नं. 297 रकबा 0.14 है०, खं.नं. 298 रकबा 0.17 है०, खं.नं. 299/1 रकबा 0.79 है०, खं.नं. 293/523 रकबा 0.01 है०, खं.नं. 287/1 रकबा 0.95 है०, खं.नं. 288 रकबा 0.10 है०, खं.नं. 289 रकबा 0.64 है०, खं.नं. 290/1 रकबा 0.43 है०, खं.नं. 291 रकबा 0.06 है०, कुल भूमि 59400 वर्गमीटर में से 18 मीटर चौड़ी सड़क से प्रभावित 362.31 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 59037.69 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से औद्योगिक किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे तथा बिना स्वीकृति के किये गये कार्य की जब भी पट्टा जारी हो नियमानुसार पेनल्टी ली जावे।	निदेशक (आयोजना)	8
7.	110.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी के खसरा नम्बर 144/1, 144/1/1, 144/2 तथा 331/144/294 कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा भूमि में से 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (आयोजना)	9
8.	110.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम सारगपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 412/779, 819/442 सम्पूर्ण, 430, 431, 432 हिस्सा 4/20, 412, 413 हिस्सा 1/12, 387, 388, 401, 145, 144/693, 144, 398, 408 सम्पूर्ण, 141,142, 143 हिस्सा 1/3, 427 सम्पूर्ण कुल रकबा 4.84 हेक्टेयर एवं ग्राम टीकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 831, 518, 523/1255, 517/1155 सम्पूर्ण कुल रकबा 3.11 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रकरण में पूर्ण जाँच कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	10
9.	110.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू के खसरा नम्बर 2284 रकबा 0.48 हेक्टेयर में से 418 वर्गमीटर भूमि सेक्टर रोड में एवं शेष 4382 वर्गमीटर भूमि का	सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	11

क्र.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पृष्ठ सं.
		भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में।			
0.	110.10	जविप्रा क्षेत्र में स्थित तहसील सांगानेर के राजस्व ग्राम भांकरोटा के खसरा नम्बर 1277/2977, 1181 कुल किता 2 रकबा 0.2738 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (आयोजना)	12
1.	110.11	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 474 एवं 476 से 482 रकबा 2.624 हेक्टेयर (26240 वर्ग मीटर) भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि सड़क हेतु 848.70 वर्गमीटर व प्लान्टेशन कोरीडोर हेतु 1435.00 वर्गमीटर भूमि को छोड़कर शेष भूमि 23956.000 वर्गमीटर का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने की स्वीकृति दी गई। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	13
2.	110.12	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नं. 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108/3 एवं 103/105 कुल किता 9 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा (33638.4 वर्गमीटर) का भू-उपयोग मास्टर विकास प्लान 2011 में उक्त क्षेत्र का भू-उपयोग ट्रक ट्रांसपोर्ट टर्मिनल क्षेत्र से संस्थानिक किये जाने संबंध में।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	14
3.	110.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम गोवर्धन पुरा, तहसील चाकसू के खसरा नं. 175, 176, 178, 179 रकबा 0.74 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग रूपान्तरण किये जाने बाबत।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	15
4.	110.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम तेजावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 105, 107/797, 105/ 856 किता 3 रकबा 0.99 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने बाबत।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	16
5.	110.15	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम बड़ी का बास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 333, 334, 335, 336, 337, व 432 कुल किता 6 रकबा 7.04 हेक्टेयर भूमि में से मास्टर प्लान रोड/सैक्टर रोड में निहित होने वाली 1888.88 वर्ग मीटर भूमि को जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 68511.12 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	17
5.	110.16	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम गोरधनपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 192, 193, 194, कुल किता 03 रकबा 1.86 हेक्टेयर का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय रूपान्तरण किये जाने बाबत।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	18

क्र.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पृष्ठ सं.
य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTRY AJENDA)					
7.	110.17	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 551 रकबा 0.34 हेक्टेयर, 562 रकबा 0.10 हेक्टेयर, 552 रकबा 0.09 हेक्टेयर, 553 रकबा 0.40 हेक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.93 हेक्टेयर भूमि में से सेक्टर रोड में निहित होने वाली 3510.77 वर्गगज भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करते हुये शेष 7618.03 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने बाबत।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	
8.	110.18	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम बगरूखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 58 से 60, 62 से 69, 73, 74/104, 170 किता 14 कुल रकबा 2.52 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण/ रूपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने बाबत।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	
19.	110.19	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 664 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा अर्थात् 13,409.00 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा में आ रही 2029.37 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 11379.63 वर्गमीटर भूमि भू-उपयोग औद्योगिक से आवासीय/गुप हाउसिंग किये जाने की स्वीकृति दी गई। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि प्रस्तावित सेक्टर रोड में आने वाली 2029.37 वर्गमीटर भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 11379.63 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक से आवासीय/गुप हाउसिंग किये जाने की स्वीकृति दी गई। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	
20.	110.20	Amendment in delegation of powers of signing of Cheques.	सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।	निदेशक (वित्त)	
21.	110.21	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बगरूकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 2926, 2923 एवं 2904 कुल किता 3 रकबा 21.84 हेक्टेयर में से 15.0 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास प्लान 2011 में दर्शित ग्रामीण से वाणिज्यिक रूपान्तरण/उपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	
22.	110.22	श्री विनय कुमार शर्मा, सेक्टर अभियन्ता (विद्युत) की प्रतिनियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि बाबत।	1. श्री विनय कुमार शर्मा, सेक्टर अभियन्ता (विद्युत) की प्रतिनियुक्ति अवधि 4 वर्ष पूर्ण होने के कारण एक वर्ष और दिनांक 18.11.2007 तक की अभिवृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया। इस अवधि का प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा। 2. कार्यकारी समिति की 65वीं बैठक दिनांक 25.10.97 के एजेण्डा आईटम 65.7 (8) में लिये गये निर्णय पर विचार विमर्श पश्चात निम्न प्रकार निर्णय लिया गया :- प्राधिकरण में कनिष्ठ अभियन्ता/अमीन/पटवारी/सहायक नगर नियोजकों के पद रिक्त हैं, और इन पदों को सीधी भर्ती से जविप्रा में निकट भविष्य में भरा जाना सम्भव	अति.आयुक्त (प्रशासन)	

क्र.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पृष्ठ सं.
			<p>नहीं है। ऐसे में दिन प्रतिदिन के कार्यों एवं विकासकार्यों एवं जविप्रा की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यवधान होता है। अतः निर्णय लिया गया है, कि उक्त तीनों सेवाओं हेतु उक्त दिनांक 25.10.97 का निर्णय लागू नहीं किया जाकर निम्न प्रकार प्रतिनियुक्ति हेतु प्रक्रिया अपनाई जावे।</p> <p>(अ) प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि/संबंधित काल में 10 वर्ष रहेगी। परन्तु प्रथम बार में अधिकतम 4 वर्ष, ईसी के अनुमोदन से 5 वर्ष व राज्य सरकार की स्वीकृति से 6 वर्ष।</p> <p>(ब) प्रथम प्रतिनियुक्ति व द्वितीय प्रतिनियुक्ति के मध्य अन्तराल दो वर्ष का रहेगा।</p>		
13.	110.23	श्री मुकेश शर्मा, सेक्टर अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि बाबत।	श्री मुकेश शर्मा, सेक्टर अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति अवधि 4 वर्ष पूर्ण होने के कारण एक वर्ष ओर दिनांक 13.3.2007 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया। इस अवधि का प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
14.	110.24	Various type of development work at Tonk road from Sanganer Flyover to Sitapura ROB, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् जोनल अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।	जोनल अभि.10	
15.	110.25	आरोबी जगतपुरा एवं 200 फीट महल रोड से प्रभावित भूखण्ड/दुकान/कब्जाशुदा भूमि एवं स्ट्रेक्चर्स के सम्बन्ध में ई.सी. के निर्णय दिनांक 20.9.06 के निस्तारण में निर्णय बाबत।	<p>विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि:-</p> <ol style="list-style-type: none"> विस्थापितों के लिये वाणिज्यिक भूमि रामनगरीया योजना, ज्ञानविहार के सामने पिकसिटी एन्केलव योजना, जयपुर विकास प्राधिकरण स्टाफ योजना, टीलावाला योजना की रिक्त वाणिज्यिक भूमि, आनंद विहार योजना में उपलब्ध निर्मित स्टोर की भूमि में आवंटन किये जावे तथा आवासीय हेतु महल विस्तार योजना के अतिरिक्त महल आवासीय योजना ब्लॉक ए एवं बी में भी आवंटन किये जावे। ई.सी. की बैठक दिनांक 20.9.06 में लिये गये निर्णय में संशोधन करते हुये तत्समय जून 2006 में प्रचलित आवासीय आरक्षित दर रुपये 2100/- प्रतिवर्गमीटर व वाणिज्यिक दर रुपये 4200/- प्रतिवर्गमीटर ली जावे तथा जिन लोगों ने पूर्व निर्णयानुसार आवासीय रूपये 3300/- व वाणिज्यिक रूपये 6600/- से राशि जमा करा दी है। उन्हें अन्तर राशि लौटा दी जावे। निर्मित दुकानों/मकानों का आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर पुनः परीक्षण किया जाकर वाद सत्यापन मुआवजे का भुगतान किया जावे। इस प्रक्रिया में पूर्व में किये गये सर्वे का ध्यान रखा जावे। सडक की 200 फीट की चौड़ाई के पश्चात् अवशेष भूमि के स्वामित्व की जाँच की जाकर यदि नियमानुसार प्रकरण वाणिज्यिक रूपान्तरण हेतु योग्य पाया जावे, तो 	उपायुक्त जोन-9	

सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पृष्ठ सं.
		<p>भू-उपयोग उपान्तरण की नियमानुसार कार्यवाही की जाकर भूमि का रूपान्तरण किया जाकर पट्टे दिये जावें</p> <p>5. जिन भूखण्डों/आवासों में बोरिंग है उसकी जॉच जोनल अभियन्ता से कराई जाकर वाद सत्यापन एक मुश्त प्रति बोरिंग रूपये 30000/-का मुआवजे का भुगतान किया जावें।</p> <p>6. सभी विस्थापितों का भूमि/भूखण्डों के समर्पण के पश्चात् कैम्प लगाकर जविप्रा द्वारा नियमानुसार पट्टे जारी किये जावें।</p> <p>लिये गये निर्णयों की कार्योत्तर पुष्टि आगामी प्राधिकरण की बैठक में करवा ली जावें।</p>		


सचिव